कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास मुरादाबाद ।

पत्रांक/ C-1861 /जि0का0अधि0/2024–25/दिनांक 24.12.2024

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–19/2023/3975/58–1–2022–2/1(22) 10 टी0सी0 दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद मुरादाबाद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आगंनबाडी कार्यकत्रियों की मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा तैयार किये गये विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in पर केवल महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है । रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	बाल विकास परियोजना का नाम	आगंनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों का विवरण				
		कुल रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ई0डब्लू0एस0	अनारक्षित
1	भगतपुरटांडा	22	5	4	2	11
2	ठाकुरद्वारा	21	3	9	2	7
3	बिलारी	67	14	12	6	35
4	डींगरपुर	65	17	16	6	26
5	छजलेट	11	4	2	1	4
6	मूण्डापाण्डे	64	16	19	6	23
7	डिलारी	30	9	12	3	6
8	मुरादाबाद ब्लाक	38	6	10	3	19
9	मुरादाबाद शहर	44	7	13	4	20
	कुल योग	362	81	97	33	151

उपरोक्त पदों का ग्राम पंचायतवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण तथा अर्हता, विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in पर अपलोड कर दिया गया है ।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश–

1. उक्त रिक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थनी पात्र होंगे और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे ।
2. चयन की समस्त कार्यवाही वाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 शासनादेश सं0 संख्या–19/2023/3975/58–1–2022–2/1(22) 10 टी0सी0 दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित प्रकिया के अधीन होगी । उपरोक्त शासनादेश को उ0 प्र0 शासनादेश की अधिकारिक वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है ।
3. आगंनबाडी कार्यकत्री की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष निर्धारित है ।
4. आगंनबाडी कार्यकत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है । आयु की गणना 01 जुलाई 2024 से की जायेगी । अभ्यर्थिनी की जन्म तिथि के संबंध में हाईस्कूल अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होंगी ।
5. रिक्त आगंनबाडी कार्यकत्री के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है ।

6. ग्राम सभा में किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से श्रेणीवार चयन कियका जायेगा ।
7. विधवा अभ्यर्थिनी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी ।
8. तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा ।
9. आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह के पूर्व का मान्य नही) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश सं0–22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14.09.2015 के अनुसार होगा । समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14.09.2015 में आय सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080.00 तथा शहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460.00 प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है ।
10. निवास व जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो ।
11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डबलू0एस0) के आरक्षित केन्द्रों पर आवेदित अभ्यर्थियों को ई0डबलू0एस0 प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा ।
12. दिव्यांगजनों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को शासनादेशानुसार परियोजनावार क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा ।
13. ग्राम पंचायतवार/वार्डवार रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण बाल विकास परियोजना कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय विकास भवन, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है ।
14. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख ऑनलाईन फार्म में किया गया है ।
15. कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र आफलाईन या डाक द्वारा प्रेषित किये जाने पर मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णाक गलत या कूट रचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
16. विज्ञापित पदों पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि 31.01.2025 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी ।
17. उपरोक्त पदों पर चयन प्रकिया पूर्णतया पोर्टल से आनलाईन माध्यम से शासनादेश में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार सम्पादित होगी । इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा ।
18. रिक्तियों की संख्या घट–बढ सकती है, जो वेबसाईट पर प्रदर्शित होगी ।

<u>आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान दिया जाये–</u>

1. समस्त प्रकिया ऑनलाईन विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in से होनी है। कोई भी आवेदन किसी भी स्तर से हार्ड कॉपी में नहीं प्राप्त किया जाना है ।
2. ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रमाण–पत्र के कमांक व शैक्षिक अर्हताओं के सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरती जायें। आवेदक द्वारा अपने आय, जाति तथा निवास प्रमाण–पत्र के आवेदन कमांक, पंजीकरण कमांक, निर्गत तिथि आदि का पोर्टल द्वारा ही ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा ऐसी

स्थिति में किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा ।

3. आगंनबाडी कार्यकत्री की चयन की सम्पूर्ण प्रकिया विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर पोर्टल से ही होनी है । अतः सर्वसाधारण को सूचित किमया जाता है कि किसी भी प्रकार के दलालों के प्रलोभन व लालच में न पडें व ऐसा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें ।

(जानकी देवी) 24/12/24
जिला कार्यकम अधिकारी
मुरादाबाद

पृष्ठांकन संख्या/ C-1864 /तददिनांक 24.12.2024
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद ।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद मुरादाबाद ।
6. सहायक निदेशक सूचना, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि सर्वाधिक पढे जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों (एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के समाचार पत्र) में निःशुल्क अथवा न्यूनतम स्पेस में शासकीय दर पर विज्ञप्ति प्रकाषित कराये जाने का कष्ट करें ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद मुरादाबाद ।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि सभी रिक्त पदों का आरक्षण सहित विवरण तहसील, विकास खण्ड, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 तथा अपने कार्यालय में चस्पा करें एवं ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर ग्राम प्रधान/सभासद के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें ।

जिला कार्यकम अधिकारी
मुरादाबाद